प्राक्कथन

''पुलिस बल का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को सम्मिलित करते हुए यह प्रतिवेदन संविधान की धारा 151(2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में उद्धृत मामले पुलिस विभाग की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये मामलों में से हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा में अवधि 2011–12 से 2015–16 को आच्छादित किया गया।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत सम्प्रेक्षा मानकों की अनुकूलता में सम्पादित किया गया है।